

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक:निस/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/2018/ 13

दिनांक: 10.05.2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:— जेल में निरुद्ध महिला बन्दीजनों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों हेतु विधिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के नाल्सा द्वारा प्रेषित अभियान के क्रियान्वयन हेतु अधिकारी मनोनीत करने व आयोजित बैठक में भाग लेने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा प्रत्येक जिले के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित की जाने वाली विशेष-षट्ठीम में स्वास्थ्य विभाग से मनोचिकित्सक एवं महिला चिकित्सक को शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 17.05.2018 से 10 दिवस का विशेष अभियान चलाया जाना है।

अतः जेल में निरुद्ध महिला बन्दीजनों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों हेतु विधिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के नाल्सा द्वारा प्रेषित अभियान के क्रियान्वयन हेतु आपके अधीन पदस्थापित एक-एक मनोचिकित्सक एवं महिला चिकित्सक को उक्त अभियान के लिये मनोनीत का उनके नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं इस निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.5.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक:निस/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/2018/

दिनांक: 10.05.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज.जयपुर।
3. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
4. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशन नोटिस सम्बन्धित को मेल द्वारा भिजवावे।

10.5.18
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।